आवेदन क्रमांक   मूल्य रू. **1000/-**

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य हेतु सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, **Skimmed Milk Powder (SMP)** विक्रय के लिये सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु

आवेदन पत्र

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

चांदा तलावली,, ए.बी.रोड, इन्दौर

दूरभाष **0731- 2802535   FAX No - 2811559**

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP विक्रय के लिये सुपरस्टाकिस्ट नियुक्ति हेतु

❧ आवेदन पत्र ❧

इस आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित संलग्न है :–

- ❖ समाचार पत्र विज्ञापन (प्रपत्र 01) – पेंज न. 01
- ❖ आवेदन पत्र प्रस्तुती विवरण – पेंज न. 02
- ❖ तकनीकी अर्हतायें (प्रपत्र 02) – पेंज न. 03 (03 से 04)
- ❖ नियम एवं शर्ते (प्रपत्र 03) – पेंज न. 05 (05 से 08)
- ❖ आवेदन पत्र (प्रपत्र 04) (हस्तलिपि से भरा जाना है) – पेंज न. 09 (09 से 10)
- ❖ मार्जिन पत्र (प्रपत्र 05) – पेंज न. 11

❧........❧

!! समाचार पत्र विज्ञापन !!

सॉची उत्पादों का प्रदेश स्तरीय विक्रय हेतु सुपरस्टाकिस्ट चाहिये

इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित सॉची रसगुल्ला, गुलाब जामुन, टेबल बटर तथा SMP का विक्रय पूरे मध्यप्रदेश राज्य में करने के लिये सुपरस्टाकिस्ट नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। ऐसी इच्छुक पार्टी जिनके पास आवश्यक अधोसंरचना, FMCG विक्रय में अनुभव, बाजार, पूंजी तथा समस्त वैधानिक दस्तावेज/अर्हताऐं उपलब्ध हों, दिनांक 16-04-2018 तक इन्दौर दुग्ध संघ कार्यालय से रू. 1000/- के नगद भुगतान पर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। आवेदन MPCDF की वेबसाईट www.mpcdf.nic.in पर भी उपलब्ध है। जो पार्टी वेबसाईट से आवेदन प्राप्त करना चाहते है उनकों आवेदन के साथ रू. 1000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट (DD) इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के नाम से देना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र रू. 10000/- के डिमाण्ड ड्राफ्ट बतौर EMD राशि सहित दिनांक 17-04-2018 को सुबह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

चयनित आवेदकों को व्यपारिक परिचर्चा एवं साक्षात्कार हेतु आंमत्रित किया जावेगा। किसी भी/समस्त आवेदनों को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP
विक्रय कार्य हेतु

(आवेदन पत्र प्रस्तुती विवरण)

(1)	आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय।	-	16-04-2018 शाम 5.30 बजे तक।
(2)	आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय।	-	17-04-2018 दोप. 3.00 बजे तक।
(4)	आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि।	-	रू. 10,000/- (अक्षरी रू. दस हजार मात्र)
(5)	आवेदन पत्र खोलने का स्थान	-	इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्यादित चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर
(6)	सुपर स्टाकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताओं का प्रारूप।	-	प्रपत्र 01
(7)	सुपर स्टाकिस्ट की सामान्य शर्ते।	-	प्रपत्र 02

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- प्रपत्र क्रमांक 01 ''तकनीकी अर्हताऐं'' प्रपत्र क्रमांक 02 ''सामान्य शर्ते बन्द लिफाफे मे प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर ''सुपरस्टाकिस्ट (सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP) हेतु आवेदन'' लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता (Mob. No.) अंकित किया जावे।
- आवेदन पत्र मे उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त आवेदन कर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नही की जावेगी।
- बिना पूर्ण दस्तावेज एवं EMD राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नही किये जावेगे।
- आवेदक द्वारा प्रपत्र -1, प्रपत्र -2 प्रपत्र के प्रत्येक पेंज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।

)........(

(तकनीकी अर्हतायें)
प्रपत्र -02

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

विषय :— सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP सुपरस्टाकिस्टक हेतु आवेदन बाबद।

महोदय,

सॉची दुग्ध पदार्थ सुपरस्टाकिस्ट हेतु दिनांक 29-03-2018 को दैनिक भास्कर, पत्रिका समाचार पत्र मे प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ मे निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन फार्म मे वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिये गये है। यदि मेरा आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो मै आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मै एतद् द्वारा अमानत राशि रू. 10,000/- (अक्षरी रू दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कमांक ………………………… दिनांक …………………. जो कि .... बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ अथवा इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या, इन्दौर के कार्यालय मे रसीद कमांक ………….. दिनांक …………………. से नगद जमा की है।

तकनीकी अर्हतायें

कमांक	आवश्यक आर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज।
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा मे पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
3.	संस्था/फर्म होने की दशा मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी /अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4.	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करे।
5.	(अ) GST (ब) फुड एण्ड सेफ्टी लायसेंस।		टीन नम्बर/फुड एण्ड सेफ्टी लायसंस की छायाप्रति संलग्न करे।
6.	सॉची दुग्ध पदार्थ IP वितरण हेतु उपलब्ध वाहनों की कुल संख्या एवं प्रकार ।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगावे।

7.	बैंक खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।
8.	विगत तीन वित्तीय वर्ष। (कर निर्धारण वर्ष 2013-14, 14-15 & 15-16) विक्रय कर का रिर्टन दाखिल करने का प्रमाण।		पान कार्ड, आयकर विभाग मे रिर्टन जमा करने की पावती एवं रिर्टन की कॉपी।

नोट :–

1- उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।

2- तकनीकी अर्हताओं सम्बन्धी प्रपत्र क्रमांक 01 आवेदन की शर्ते प्रपत्र क्रमांक 02 मे प्रस्तुत की जा रही है।

3- उपरोक्त जानकारीयों मे से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, सुपरस्टाकिस्टक कार्य को निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी, जो मुझे मान्य है।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

....

पता ....

....

....

....

दूरभाष नम्बर ....

Mob No. ....

ꙮ.......ꙮ

☙ सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP सुपरस्टाकिस्टक आवेदन हेतु आवश्यक शर्ते ❧

(1) आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ स्व–हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड/पेनकार्ड व GST की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।

(2) आवेदक को आवेदन के साथ रू. 10,000/- (अक्षरी रू दस हजार मात्र) डी.डी./नगद अर्नेस्टमनी के रूप मे जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति मे आवेदन पर विचार नही किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेगे। आवेदन के निराकरण पश्चात, अर्नेस्ट मनी अस्वीकृत आवेदकों को बिना ब्याज के लोटा दी जावेगी।

(3) सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP सुपरस्टाकिस्टक को संघ मे प्रतिभूति राशि नगद **रू. 2.00** लाख एवं रू. **रू. 2.00** लाख की बैंक ग्यारन्टी अथवा संयुक्त नाम से F.D.R. जमा कराना होगी।

(4) सुपरस्टाकिस्ट के पास FMCG वस्तुओं का पूर्व वितरण अनुभव एवं विगत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्ष मे कम से कम रू. **रू. 1.00** करोड वार्षिक का टर्न ओव्हर होना आवश्यक होगा। टर्न ओव्हर को सत्यापित करने हेतु उसे विक्रय कर निर्धारित हेतु प्रस्तुत किये गये लेखों की प्रति एवं बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(5) सॉची गुलाब जामुन एवं रसगुल्ला, SMP हेतु सामान्य गोडाउन तथा टेबल बटर के लिये सुपरस्टाकिस्टक को भंडारण हेतु शीतलीकृत गोडाउन की व्यवस्था करना होगी साथ ही टेबल बटर के वितरण कार्य मे लगाये जाने वाले रेफ्रिजिरेटेड वाहन जो कि तीन ओर से कव्हर्ड होकर एक ओर दरवाजा होगा तथा गुलाब जुमान एवं रसगुल्ला, SMP के लिये सामान्य कव्हर्ड वाहन की व्यवस्था करना होगी। वितरण वाहनों की बॉडी समतल होगी, ताकि संघ उस स्थान पर विज्ञापन के विनायल लगा सके। इस सम्बन्ध मे आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध या भंडारण स्थल की रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन फिटनेस भी जमा करवाने होगे। वाहन पर संलग्न किये जाने वाले वाहन चालक/परिचालक के स्वयं द्वारा सत्यापित परिचय पत्र (नाम, पिता का नाम, पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर, वर्तमान निवास, मूल निवास, मोबाईल नम्बर आदि) वैध लायंसस की छायाप्रति कार्यालय मे देना होगी। इसी तरह उक्त स्टाफ मे यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना उपरोक्त अनुसार देना अनिवार्य होगा एवं यही मापदंड नये कर्मी के लिये भी रहेगें।

(6) सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP सुपरस्टाकिस्टक को अपनी मागं कम से कम दो दिन पूर्व संघ को लिखित मे अथवा मेल द्वारा देना होगी, किन्तु संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार ही सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर की मांग की पूर्ति की जा सकेगी। मांग अनुसार सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, दिन मे एक ही बार संयंत्र वितरण डाक से निर्धारित समय मे किया जावेगा।

(7) संघ की निर्धारित नीति अनुसार सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP की अग्रिम राशि RTGS/NEFT द्वारा भुगतान संघ को निर्धारित समय मे प्राप्त होने पर ही प्रदायगी की जाएगी।

(8) सुपरस्टाकिस्ट को सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP प्राप्त करते समय उसकी जॉच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने पश्चात किसी भी प्रकार की टूट–फूट, हानि की जिम्मेदारी सुपरस्टाकिस्ट (सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP) की रहेगी। संघ से प्राप्ति पश्चात किसी भी लीकेज/वजन/एक्सपायरी डेट इत्यादि के लिये संघ द्वारा रिप्लेसमेन्ट आदि नही किया जावेगा।

(9) सुपरस्टाकिस्ट (सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP) को संघ की निर्धारित शर्तो अनुसार रू. 1000/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। साथ ही सुपर स्टाकिस्ट को दो वर्ष के लिये नियुक्त किया जावेगा, तत् पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार मे व्यवसायीक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिर्पोट संतोषजनक होने पर इसमे प्रबंध के निर्णय अनुसार एक – एक वर्ष कर तीन वर्ष तक की वृद्धि की जा सकेगी। (स्टाम्प के पीछे पार्टी नाम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह.दुग्ध संघ, इन्दौर के संयुक्त नाम से कय करना अनिवार्य होगा)

(10) किसी भी परिस्थिति मे दुग्ध संघ से वर्तमान में सीधे इंडिजिनियश दुग्ध पदार्थ प्राप्त कर विक्रय करने वाले वितरकों/विक्रेताओं/उपभोक्ताओं को सीधे प्रदाय का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

(11) दुग्ध संघ से प्राप्त किये गये सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP की राशि RTGS/चैक के माध्यम से दुग्ध संघ खाते मे जमा करवानी होगी। सुपरस्टाकिस्ट द्वारा दुग्ध संघ मे जमा बैंक ग्यारन्टी/F.D.R. की 80% राशि का ही दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जावेगा।

(12) सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP सुपरस्टाकिस्ट को मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में वितरक नियुक्ति करना होगा, परन्तु प्रत्येक नियुक्त वितरक की जानकारी दुग्ध संघ को अग्रिम रूप से देना होगी, यदि किसी पार्टी का पूर्व रिकार्ड खराब पाया जाता है एवं दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ द्वारा किसी पार्टी को वितरक नियुक्ती हेतु प्रतिबंधित किया जाता है तो ऐसी पार्टी को सुपरस्टाकिस्ट द्वारा वितरक नहीं बनाया जावेगा।

(13) सुपरस्टाकिस्ट द्वारा लिये गये सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP, मात्रा के विरूद्ध दुग्घ संघ द्वारा राशि वसूली हेतु उनके खाते से जारी किये गये चैक अनादृत होते है तो निम्नानुसार चैक बाउंस दंडित राशि वसूली/कार्यवाही की जावेगी, जो कि बंधनकारी होगी :–

- रु. 20.00 लाख तक अनाादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के अनादृत होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रु. 1000/- के मान से होगी । रु. 20.00 लाख से अधिक के धनादेश अनादृत होने पर अर्थदंड रु. 2000/- प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा ।

- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के भीतर सुपर स्टाकिस्ट द्वारा लागू अर्थ दंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नही की जाती है तो 8 वें दिवस से 14 वें दिन के लिए अर्थ दंड की राशि रु. 20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रु. 2000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु. 20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु. 4000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी ।
- यदि इसके पश्चात् भी सुपरस्टाकिस्ट द्वारा मूल राशि के साथ–साथ लागू उक्त अर्थ दंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नही की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रु. 20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थ दंड की राशि रु. 3000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रु. 20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रु. 6000/- प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी ।
- सुपरस्टाकिस्ट द्वारा अनाादरित धनादेश की मूल राशि के साथ–साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद/चैक से जमा करना होगा ।

(14) सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP सुपरस्टाकिस्ट जो भी विक्रय लक्ष्य दिये जाते है, को प्राप्त करना होगा। जिसके आभाव में संक्षिप्त समीक्षा कर सुपरस्टाकिस्ट को आवंटित कार्य निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

(15) नेटवर्क स्थापित करने हेतु सुपरस्टाकिस्ट को आवश्यकतानुसार योग्य विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर रखना होगे एवं उनकी आवश्यकता अनुसार वृद्धि करना होगा।

(16) सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP सुपरस्टाकिस्ट विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन मे पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवायेगा। ब्राण्ड प्रमोशन की गतिविधियों मे सुपरस्टाकिस्ट की सहभागिता हेतु पहल पर उसका व्यय आपसी सहमति पर निर्धारित होगा।

(17) सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP सुपरस्टाकिस्ट हेतु प्राप्त किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। आवश्यकता प्रतिपादित होने पर सभी अथवा किसी भी आवेदक से व्यवसाय सम्बन्धी नीति का निर्धारण किया जा सकेगा। जिसके लिये प्रबंध स्वतंत्र होगा।

(18) प्राप्त आवेदनों की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।

(19) आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नही करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

(20) सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP सुपरस्टाकिस्ट को परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त परिवहन भाडा नही दिया जावेगा।

(21) सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP सुपरस्टाकिस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा। क्षैत्र के बाहर यदि माल प्रदाय किया जाता है तो इसकी पूर्व स्वीकृति दुग्ध संघ से लेना होगी।

(22) सुपर स्टाकिस्ट नियुक्त होने पश्चात किसी वाद–विवाद पर आर्बिटेशन की व्यवस्था होगी। जिस हेतु अध्यक्ष, इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर का निर्णय मान्य होगा।

(23) व्यापार हेतु वाद–विवाद पर इन्दौर न्यायलयीन क्षेत्र प्रभावशील रहेगा।

(24) आवेदक एमपीसीडीएफ, इन्दौर दुग्ध संघ अथवा किसी भी दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक मण्डल के सदस्य, अधिकारी/कर्मचारी या रिश्तेदार नहीं हो, इस हेतु वचन पत्र संलग्न करना होगा।

(25) प्रदेश के किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी सेवा में अनियमितता के लिये टर्मीनेट/ब्लेकलिस्ट नहीं किया गया हो, वचन पत्र संलग्न करना होगा।

(26) संलग्न वाहन जीपीएस युक्त होना चाहिये।

(27) दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टाकिस्ट को विक्रय पश्चात कोई पदार्थ वापसी नहीं होगा।

मेरे द्वारा सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP, सुपरस्टाकिस्ट हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्ते ठीक से पढ व समझ ली है तथा मै सभी शर्तो को मानने के लिये सहज तैयार हूॅ/है। आवेदन मे दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन मे प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मै बिन्दु क्रमांक 01 से 27 तक वर्णित शर्तो का पालन नही करता हूॅ एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमति देता हूॅ।
दिनांक

हस्ताक्षर

(आवेदक का नाम एवं पता)

ꕤ........ꕥ

❨ सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP सुपरस्टाकिस्टक हेतु आवेदन पत्र ❩

पासपोर्ट साईज
फोटो
चस्पा करे

1- आवेदक का नाम ■ ————————————

2- पिता / पति का नाम ■ ————————————

3- स्थाई पता ■ ————————————
(प्रमाण सहित) ————————————
————————————

(अ) दूरभाष नं. ■ ————————————
(ब) मोबाईल नं. ■ ————————————
(स) पेनकार्ड नं. ■ ————————————
(द) GST नं. ■ ————————————

4- शैक्षणिक योग्यता ■ ————————————

5- आवेदक / फर्म का नाम / यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर–शिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ■ ————————————
————————————
————————————

6- वर्तमान व्यवसाय ■ ————————————

7- वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करे) ■ ————————————

8- वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) ■ ——————————————————

(अ) चल–अचल सम्पति का ब्योरा। –

(ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं मे जमा राशि। – – – – – – – – – – – – –
(गत तीन वर्ष का आयकर विवरण) संलग्न करे।

9- सुपरस्टाकिस्ट (दुग्ध सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर) हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था। ■ –

10- (अ) पान/आधार नम्बर ■ – – – – – – – – – – – – –
(ब) GST नम्बर। ■ – – – – – – – – – – – – –

11- वाहन व्यवस्था (स्वयं का अथवा अनुबंधित वाहन होना आवश्यक) वाहन के पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करे, अथवा विवरण दे। ■ –

12- धरोहर राशि। ■ रू.– – – – – – – – – – – – –
(D.D./M.R. कमांक)
दिनांक ……………….. प्रारूप 01 के साथ संलग्न है)

दिनांक ....

हस्ताक्षर

(आवेदक का नाम एवं पता)

ഈ........ଔ

प्रपत्र -05

सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP, सुपरस्टाकिस्टक हेतु मार्जिन पत्र

A. मैं सॉची गुलाब जामुन, रसगुल्ला, टेबल बटर, SMP पर Ex डेयरी संयंत्र, इन्दौर से स्वयं के परिवहन व्यय एवं व्यवस्था पर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विक्रय/वितरण करने के लिये निर्धारित MRP से निम्न मार्जिन कम कर प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :–

1. सॉची गुलाब जामुन रू. .... प्रति किलोग्राम।
2. सॉची रसगुल्ला रू. .... प्रति किलोग्राम।
3. सॉची टेबल बटर रू. .... प्रति किलोग्राम।
4. सॉची Skimmed Milk Powder रू. .... प्रति किलोग्राम।

B. यदि उपरोक्तानुसार मार्जिन स्वीकृत किया जाता है तो निम्न मात्रा में विक्रय का विश्वास देता हूँ :–

1. सॉची गुलाब जामुन .... किलो प्रति माह।
2. सॉची रसगुल्ला .... किलो प्रति माह।
3. सॉची टेबल बटर .... किलो प्रति माह।
4. सॉची Skimmed Milk Powder .... किलो प्रति माह।

स्वीकृत मार्जिन पर उपरोक्तानुसार विक्रय नहीं किये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर

(आवेदक का नाम एवं पता)

....